उत्तर प्रदेश सरकार

गृह(पुलिस) अनुभाग-2

संख्याः-808/छः-पु0-2-2016-1100(20)/2015

लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2016

अधिसूचना

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा-2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किये गये सभी विद्यमान निमयों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस बल के घुड़सवार पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उपनिरीक्षक तथा निरीक्षक के चयन, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता अवधारण और स्थायीकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली- 2016

भाग-एक सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति-

उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा अधीनस्थ सेवा एक ऐसी सेवा है,जिसमें समूह''ग'' के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषायें-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हों, इस नियमावली में-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य आरक्षी, मुख्य आरक्षी पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक तथा उपनिरीक्षक व निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदो के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;

(ग) ''बोर्ड'' का तात्पर्य इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ङ) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत का संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाये;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ज) ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से है;

(झ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है ;

(ञ) ''घुड़सवार पुलिस'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस बल के घुड़सवार पुलिस से है;

(ट) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य अधिनियम ती अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) ''पुलिस मुख्यालय'' का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ड) ''चयन समिति'' का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति से है;

(ढ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आरक्षी घुड़सवार पुलिस/मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस, उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस और निरीक्षक घुड़सवार पुलिस सेवा से है;

(ण) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(त) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है;

भाग-दो-संवर्ग

4- **सेवा का संवर्ग-**

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा कि वर्तमान सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश परित न हो निम्नवत् होगीः-

पद के नाम	**स्थायी**	**अस्थायी**	स्वीकृत नियतन
आरक्षी घुड़सवार पुलिस	**151**	**35**	186
मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	**33**	**13**	46
उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	**5**	**4**	9
निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	**2**	**2**	4

परन्तु यह किः-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुर्ननिर्धारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे प्रस्थगित रख सकते है जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती हेतु पात्रता

5.**भर्ती का स्रोत अर्हताए एवं योग्यताएः-**

(क) **आरक्षी घुड़सवार पुलिस**

आरक्षी घुड़सवार के शत-प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी- सेवाकाल में घुड़सवार पुलिस के दिवांगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते है, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गयी नीति के अनुसार की जायेगी।

(ख) **मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस**

मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्य के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी घुड़सवार पुलिस से भरे जायेगें जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ग) **उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस**

उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्य के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस से भरे जायेगें जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी- शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के विचार किया जायेगा।

(घ) **निरीक्षक घुड़सवार पुलिस**

निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्य के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस से भरे जायेगें जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 03 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

6. आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा, राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

परन्तु यह कि किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी केवल ऐसे पुरूष अभ्यर्थी, जो शारीरिक रूप से विकलांग नहीं है आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।

भाग-चार-अर्हतायें

7. राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः-

(क) भारत का नागरिक हो या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्वीवर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु यह कि उपर्युक्त (ख) या (ग) के श्रेणी से सम्बंधित अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया होः

परन्तु यह और कि (ख) श्रेणी के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त ''ग'' श्रेणी का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8- शैक्षिक अर्हताएः-

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हतायें वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिये आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

9- अधिमानी अर्हताएः-

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की अधिमानी अर्हतायें वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिये आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

10- आयुः-

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिये आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

11- **चरित्र-**

किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अद्यमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित होः-

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ;दि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और जब तक कि वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से

मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

टिप्पणीः- चिकित्सा बोर्ड, अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊचाई उसके सुने और भार के माप के विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक) श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनीज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण वाक् दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पाँच
भर्ती की प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती के लिये रिक्तियों का अवधारण की प्रक्रिया वहीहोगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

15- आरक्षी घुड़सवार पुलिस की सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वही होगी जो तत्समय प्रचलित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आरक्षी उत्तर प्रदेश पुलिस की होगी।

16.चरित्र सत्यापन-नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

17.पदोन्नति की प्रक्रिया

(1) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया**

मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी घुडसवार पुलिस के ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(2) **उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया**

उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए अर्हकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता परीक्षण सहित ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त घुडसवार पुलिस के ऐसे मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

टिप्पणी- शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

(3) **निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया**

उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस में से भरे जायेगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(4) चयन समिति

(क) आरक्षी घुड़सवार पुलिस से मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस, मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस से उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस, उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस से निरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए चयन समिति बोर्ड द्वारा गठित की जायेगी।

(ख) चयन समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेगें।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

(ड़) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छः
नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

18. नियुक्ति

(1) नियम-15 एवं 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियो के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियो को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हो । यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक अधिक आदेश जारी किये जाये तो, एक सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय या जैसा की उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ।

परन्तु इस उप नियम के प्रयोजन हेतु नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19. प्रशिक्षण

(1) (क) आरक्षी के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगें। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्नित द्वारा नियुक्त किये गये कर्मियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

20. परिवीक्षा

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रषिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जाय।

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।

(5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

21. स्थायीकरण

(1) इस नियमावली के नियम उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा। यदिः

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो, और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो, और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहां, उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22. ज्येष्ठता

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये घुड़सवार पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन के दिनांक से निर्धारित की जायेगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती घुड़सवार पुलिस कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती अग्निशमन सेवा कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती घुसवार पुलिस कर्मियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती घुसवार पुलिस कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी । एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त घुसवार पुलिस कार्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। अगर किसी पद के लिए प्रोन्नति परीक्षा के माध्यम से है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा प्रेषित अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर प्रोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर है तो एक एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी । यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(5) उपरोक्त के होते हुये भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत नीति के अनुसार किया जायेगा।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

23. वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:-

क्रम	पद नाम	वेतन बैण्ड	ग्रेड पे

सं0			
1	आरक्षी घुड़सवार पुलिस	5200-20200	2000
2	मुख्य आरक्षी घुड़सवार पुलिस	5200-20200	2400
3	उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस	9300-34800	4200
4	निरीक्षक घुड़सवार पुलिस	9300-34800	4600

24. परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) फण्डामेंट रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-

प्रकीर्ण उपबन्ध

25. पक्ष समर्थन

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिषों से भिन्न किन्हीं सिफारिषों पर चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26. अन्य विषयों का विनियमन

विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेषों के संबंध में सेवा में नियुक्त व्यक्ति फायर सर्विस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

27. सेवा की शर्तो में शिथिलता

जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामलें में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओ को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामलें में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवष्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

28. व्यावृत्ति

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतो पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियो के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

29. अध्यारोही प्रभाव

(1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेष या प्रषासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

(2) सेवा के सदस्यो के चयन, पदोन्नति, प्रषिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या उनसे आनुषंगिक विषयों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायेंगे।

(3) सेवा के सदस्यों का, तत्सम्बन्ध में जारी किसी अन्य नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में, कोई दावा नहीं होगा, और तद्धीन प्रोद्भूत कोई अधिकार समाप्त हुए समझे जायेंगे।

(4) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन पूर्व स्वीकृत चयन, पदोन्नति, प्रषिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा प्रत्याहृत नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,
(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

परिषिष्ट

(नियम-17(2) देखें)

उपनिरीक्षक घुड़सवार पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण

1- शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें-

(क) बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अपर पुलिस अधीक्षक।

(ख) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में उचित स्तर के अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

2- शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये अभ्यर्थियों को 3.2 कि0मी0 की दौड़ 35 मिनट में पूरा करना आवश्यक होगा।

3- दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेष परिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4- दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगाः-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के खण्ड 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों की सूचना परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दाण्डिक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ड.) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विषिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी:-समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।